

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 114 / 2021

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
अर्जुनदान पुत्र सुरतदान जाति चारण, निवासी करणीसर तहसील शिव, जिला बाडमेर		1. राणीदान पुत्र सुरतदान जाति चारण, निवासी करणीसर तहसील शिव, जिला बाडमेर 2. शाखा प्रबंधक, आर.एम.जी.बी. शाखा भीयाड 3. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :- अधिवक्ता वादी - श्री बृजमोहन कुमावत।

—:: निर्णय ::—


दिनांक : 01.06.2026

वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं वादी अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।


लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल धारवीकला के ग्राम करणीसर के खेत खसरा नम्बर 610/194 रकबा 4.8562 हैक्टयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	फिस्म	लगान	बरग
1	अर्जुनदान पुत्र सुरतदान जाति चारण, सा. देह खातेदार	करणीसर	610/194	1.8372	बा.सो	0.68	खाकी
2	राणीदान पुत्र सुरतदान जाति चारण, सा. देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा भीयाड	करणीसर	610/194	3.0190	बा.सो	1.12	हरा

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेगे। विभाजन प्रस्ताव के सलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।


सहायक कलक्टर
शिव (बाडमेर)

निर्णय आज दिनांक 01.06.2026 सरे इजलास सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
शिव (बाडमेर)